न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या /2022 (2022/84)

1. पांचू पुत्र छीतर
2. बद्री पुत्र कल्याण
3. मोडा पुत्र कल्याण
4. रामप्यारी पुत्री कल्याण
5. आशा पुत्री कल्याण
6. सायरी पत्नि गणेश
7. प्रहलाद पुत्र गणेश
8. कैलाश पुत्र गणेश
9. संतरा पुत्री गणेश
10. लादू पुत्र छीतर

समस्त जाति भील निवासी काबरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—प्रार्थीगण

बनाम

1. किशनलाल पुत्र लादू धाकड
2. भंवरलाल पुत्र लादू धाकड
3. गंगा पत्नि धन्ना धाकड
4. मनभर देवी पत्नि जगदीश धाकड
5. सत्यनारायण पुत्र धन्ना धाकड
6. कैलाश पुत्र मोती धाकड
7. गीता देवी पत्नि शंकरलाल

   समस्त निवासीगण काबरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर
8. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

——अप्रार्थीगण

उपस्थित:—

श्री कालूराम गुर्जर — वकील प्रार्थीगण

श्री अब्दुल सलीम गोरी — वकील अप्रार्थीगण

पैरोकार सरकार (जरीये तहसीलदार केकडी) — अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

—:निर्णय:—

दिनांक:— 16/06/23

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। प्रकरण के संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी वाके ग्राम काबरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
7—5	535	2.93	बारानी 1
	किता 1	**रकबा 2.93 हैक्टर**	

प्रार्थीगण द्वारा प्ररूतुत प्रार्थनापत्र अनुसार उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 535 प्रार्थीगण की है जिसमें आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 525 किस्म गै.मु.रास्ता है जो कि काबरिया से बद्रीपुरा आने जाने का आम रास्ता है से प्रारम्भ होकर अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 532, 533 की उत्तरी मेड से 534 की उत्तरी पूर्वी मेड से व खसरा नम्बर 599/536 की पश्चिमी मेड से होता हुआ प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 535 तक पहुचता है। उक्त रास्ता कदीमी है तथा इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजी पर आने जाने हेतु अन्य कोई

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

रास्ता नही है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आने जाने में रूकावट पैदा की जा रही है तथ बार–बार कहे जाने पर भी सहमति नही बन रही है तथा आने जाने के रास्ते में लोहे की जाली लगाकर, कांटे आदि पटक कर वर्तमान में रास्ते में बाधा उत्पन्न कर रूकावट जारी है। आवश्यकता आत्यन्तिक है। अतः विद्यमान मार्ग को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता के रूप में अभिलेखित किया जाये तथा इस हेतु प्रार्थीगण नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु तैयार है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 से 3 व 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ जिसके अनुसार प्रार्थीगण ने आराजी खसरा नम्बर 535 में पंहूचने हेतु अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 की आराजी खसरा नम्बर 532, 533, 534 से होते हुए 599/536 तक रास्ता बताया है जो कि एक सोची समझी साजिस है तथा खसरा नम्बर 537 के खातेदार के बहकावे में तथा दबाव में यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। कैलाश ने अपनी आराजी खसरा नम्बर 534 में से 2/3 हिस्सा महावीर, रामराज, पिसरान कैलाश को दान कर दी है जो शुद्धिकरण हेतु विचाराधीन है। खसरा नम्बर 525 गै.मु.रास्ता से खसरा नम्बर 530, 531 की मेड से होते हुए प्रार्थीगण की अराजी खसरा नम्बर 535 पर [illegible]ता से अबाध गति से पंहूच सकते है इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 525 गै.मु.रास्ता से होते हुए खसरा नम्बरान 611/527 से 537 व 538 की मेड से होते हुए आराम से पंहूचा जा सकता है। प्रार्थीगण इतने सुगम सरल विकल्प होने के बावजूद अप्रार्थीगण की आराजी को प्रभावित करना, जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है अतः अप्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने का निवेदन किया गया हे। अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से पावर पेश किये जाने के पश्चात जवाब हेतु कई मर्तबा अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नही करने से उनका जवाब बंद किया जाकर रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त की गई।

अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी द्वारा जवाब सरकार/मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने पर पक्षकारान को सुना जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु तहसीलदार को एवं दौराने मौका रिपोर्ट मौके पर उपस्थित होने हेतु पक्षकारान को जरिये अधिवक्ता निर्देशित किया गया जिसकी पालना में तहसीलदार केकड़ी द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

तहसीलदार केकड़ी से प्राप्त मोका रिपोर्ट / जवाब सरकार निम्नानुसार है–

1. प्रार्थनापत्र में अंकित ग्राम काबरिया के खसरा नम्बर 535 प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है।
2. प्रार्थीगण आपसी सहमति से खेत खाली होने की स्थिति में पडोसी खातेदारों के खेत से आवागमन करता है।
3. प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी से स्वीकृत रास्ता खसरा नम्बर 525 किस्म गै.मु.रास्ता निकलता है। संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शित है।
4. वर्तमान में प्रार्थीगण ग्राम काबरिया से नारेडा की सीमा पर कदीमी रास्ते से खसरा नम्बर 599/536 की पश्चिमी मेड के सहारे होकर आवागमन नजदीक एवं सुविधाजनक है एवं प्रार्थीगण द्वारा भी उक्त रास्ता ही प्रस्तावित किया गया है।
5. प्रार्थी को वर्तमान में अपने खेत पर आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
6. उपरोक्तानुसार रास्ते के अलावा मौका स्थिति अनुसार खसरा नम्बर 525 किस्म गै.मु.रास्ता से खसरा नम्बर 531 व 530 की दक्षिणी मेड से आवागमन सुविधाजनक रहेगा। जिस हेतु खसरा नम्बर 530 व 531 के खातेदार को सुना जाना/संयोजित किया जाना उचित होगा।
7. प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ग्राम काबरिया व नारेडा की सीमा पर स्थित उत्तरी मेड खसरा नम्बर 532, 533, 534 पर कदीमी रास्ता मोजूद है, वहां से खसरा नम्बर 599/536 की पश्चिमी मेड से 112 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौडा कुल 672 वर्गमीटर तथा दक्षिणी दिशा में 20 मीटर लम्बा तथा 6 मीटर चौडा कुल 120 वर्गमीटर इस प्रकार प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 599/536 में से 672+120 = 792 वर्गमीटर क्षेत्रफल बनता है जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 215177/– प्रति हैक्टर के दोगुने से प्रतिकर राशि 34072/– रूपये बनते है। खसरा नम्बर 532, 533, 534 की उत्तरी मेड पर कदीम रास्ता मौजूद है, डी.एल.सी की गणना इसके बाद खसरा नम्बर 599/536 में से प्रस्तावित रास्ते हेतु की गई है। यदि खातेदार सहमत नही है तो खसरा नम्बर 532, 533, 534 की उत्तरी मेड पर स्थित रास्ते की डी.एल.सी. गणना अपेक्षित है।
8. प्रस्तावित रास्ता का नक्शा ट्रेस संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट के साथ संलग्न पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट में किये गये निवेदन पर अन्य प्रकरण संख्या 2021/23 (6/2021) उनवान धनराज बनाम गीता वगै का अवलोकन किया गया जिसमें भी आराजी संख्या 532, 533, 534, 599/536 से खसरा नम्बर 537 के लिए रास्ता चाहा गया है। मौका रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शा ट्रेस के अवलोकन किया गया जिसके अनुसार खसरा नम्बर 532, 533, 534 की उत्तरी मेड से खसरा नम्बर 599/536 तक कदीमी रास्ता मौजूद है जिसमें से आवागमन हेतु खातेदारन ने सहमति दी है। शेष रास्ता खसरा नम्बर 599/536 में से खसरा नम्बर 537 हेतु रास्ता दिया जाना है जो कि इस प्रकरण में प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 535 के लगवा है। साथ ही प्रार्थीगण ने प्रकरण संख्या 2021/23 (6/2021) उनवान धनराज बनाम गीता वगै में लिखित सहमति प्रदान की है कि हम प्रार्थीगण की आरजी 535 तक रास्ता पंहूचता है तो उसके बाद खसरा नम्बर 537 में पंहूचने हेतु हम प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 535 में से रास्ता दिया जाता है तो हमे कोई एतराज नही है।

तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस तर्क दिया गया कि खसरा नम्बर 525 गै.मु.रास्ता से खसरा नम्बर 599/536 तक ग्राम काबरिया व नारेडा की सीमा पर खसरा नम्बर 532, 533, 534 की मेड से कदीमी रास्ता है जो चालू है एवं जिससे आवागमन हेतु अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को कभी नही रोका गया है और ना ही भविष्य में कभी रोका जायेगा। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दिये गये इस तर्क से प्रार्थीगण सहमत है तथा प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, जवाब सरकार, अन्य संबंधित प्रकरण संख्या 2021/23 (6/2021) उनवान धनराज बनाम गीता वगै, एवं इसमें प्रार्थीगण द्वारा स्वयं की आराजीयात में से रास्ता दिये जाने हेतु प्रस्तुत लिखित सहमति का अवलोकन किया एवं पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट का आंकिश स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 535 में पंहूच हेतु ग्राम काबरिया के खसरा नम्बर 599/536 की पश्चिमी मेड से 112 मीटर लम्बा व 6 मीटर चौडा कुल 672 वर्गमीटर तथा दक्षिणी दिशा में 20 मीटर लम्बा तथा 6 मीटर चौडा कुल 120 वर्गमीटर इस प्रकार प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 599/536 में से 672+120 = 792 वर्गमीटर क्षेत्रफल बनता है जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 215177/- प्रति हैक्टर के दोगुने से प्रतिकर राशि 34072/- रूपये बनते है। अतः उक्त राशि प्रार्थीगण द्वारा जमा कराने पर मौका रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शे में खसरा नम्बर 599/536 में लाल स्याही से प्रस्तावित अनुसार सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार केकडी उक्त राशि प्रार्थीगण से वसूल कर खसरा नम्बर 599/536 के खातेदारान को जर्ये सूचना पत्रावली पर दिलवायी जावे। राशि नही लिये जाने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जाकर आदेशानुसार सिवायचक सार्वजनिक गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज एंव तरमीम की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (केकड़ी)

Scanned with OKEN Scanner